

आवश्यक/आरटीआई मामले

नं०: 13/1/2016-तेउविबो

दिनांक : 09 सितम्बर, 2019

सेवा में,

मो. शाहिद,
ग्राम सामाचक,
पोस्ट हरौली,
जिला वैशाली, पिन 844103
बिहार

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी।

महोदय,

मुझे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पत्र सं. एमओपीएंडएनजी/आर/2019/00442 दिनांक 26.08.2019 को अग्रेषित आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 09.07.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) को संदर्भित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें आवेदक को सीधे उत्तर देने का अनुरोध है।

2. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम के खण्ड 6 में तेल उद्योग विकास बोर्ड के कार्यकलापों का विवरण है जिसकी प्रति संलग्न है। इसके अलावा कर्मचारियों की डायरेक्टरी संबंधी जानकारी भी संलग्न है।
3. तेल उद्योग विकास बोर्ड में अपीलीय प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री राजेश सैनी, (दूरभाष सं०-0120 2594605)
उप मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
तेल उद्योग विकास बोर्ड तीसरी मंजिल ओ.आई.डी.बी. भवन
सेक्टर-73, नोएडा-201301

भवदीय,

Dmb
9/9/19
(राजीव राणा)

प्रबंधक (पी एंड ए)/लोक सूचना अधिकारी

संलग्न: उपरोक्त।

राजीव राणा
9/9/19


प्रति :1. श्री राकेश मिश्रा, अवर सचिव (सामान्य/संसदीय/आरटीआई/पीजी) एवं सीपीआईओ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, को आरटीआई सं.एमओपीएंडएनजी/आर/2019/00442 दिनांक 26.08.2019 के संदर्भ में जानकारी हेतु।

प्रधान कार्यालय :-
ओ.आई.डी.बी. भवन, 'सी' ब्लॉक, तीसरी मंजिल,
प्लॉट नं. 2, सेक्टर - 73, नोएडा-201301, उ.प्र.
फोन : 91-120-2594602, 603, 604 फैक्स : 91-120-2594630
वेबसाइट : www.oidb.gov.in

पंजीकृत कार्यालय :-
301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरी मंजिल, बाबर रोड, नई दिल्ली - 110 001
फोन : 91-11-23413540

Main Office :-
OIDB Bhawan, 'C' Block, 3rd Floor
Plot No. 2, Sector - 73, Noida-201301, Uttar Pradesh
Phone : 91-120-2594602, 603, 604 Fax : 91-120-2594630
Website : www.oidb.gov.in

Registered Office:-
301, World Trade Centre, 3rd Floor, Babar Road, New Delhi - 110 001
Phone : 91-11-23413540



तेल उद्योग विकास बोर्ड
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

Search

9

मुख्य पृष्ठ

हमसे संपर्क करें

अंतिम अद्यतन तिथि: 08/02/2019

तेल उद्योग विकास बोर्ड
(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) तीसरा तल,
टावर सी, फ्लॉट सी-2, तेजविभो भवन,
सेक्टर-73, नोएडा-201301(उ0प्र0)
फैक्स नं. 120-2594630

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम	कार्यालय दूरभाष नं.	ई-मेल आईडी
1	दिवाकर नाथ मिश्रा, आईएएस सचिव	0120-2594602	secy.oidb@nic.in
2	गौतम सेन, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	0120-2594603	facao.oidb@nic.in
3	गणेश सी. जाधव उप मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी	0120-2594607	dcfao.fin.oidb@nic.in
4	राजेश सैनी उप मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी	0120-2594605	dcfao.admn.oidb@nic.in
5	शिरीश चंद्र दक्षिण लेखा अधिकारी	0120-2594505	sao.oidb@nic.in
6	प्रबंधक (एस्टेट)- रिक्त	-	mgr.estate.oidb@nic.in
7	राजीव राणा प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)	0120-2594679	mgr.admn.oidb@nic.in
8	ज्योति शर्मा हिंदी अधिकारी	0120-2594612	hindi.oidb@nic.in
9	मेहरबान सिंह चौहान लेखा अधिकारी	0120-2594614	meharbansingh.oidb@nic.in
10	राजेश मिश्रा लेखा अधिकारी	0120-2594628	rajeshmishra.oidb@nic.in
11	गणेश साहू अनुभाग अधिकारी	0120-2594615	ganeshsah.oidb@nic.in

पीठि

परन्तु ऐसी कोई भी प्रत्याभूति केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी;

- ड) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक, शेयरो, बंधपत्रों या डिबेंचरो के पुरोधरण की हामीवारी करना और उनके संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में जिन स्टॉक, शेयरो, बंधपत्रों या डिबेंचरो को उसे लेना पड़े उन्हें अपनी आस्तियों के भाग रूप रखे रहना;
- च) केन्द्रीय सरकार या किसी विदेशी वित्तीय संगठन या प्रत्यय अभिकरण द्वारा किए गए उधार या अग्रिम धन के या अभिदाय किए गए डिबेंचरो के संबंध में, किसी तेल उद्योग समुत्थान के साथ किसी कारखार के सव्यवहार में, केन्द्रीय सरकार के या, उसके अनुमोदन से, ऐसे संगठन या अभिकरण के अधिकर्ता के रूप में कार्य करना;
- छ) किसी तेल उद्योग समुत्थान के स्टॉक या शेयरो के लिए अभिदाय करना;
- ज) किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिबेंचरो के लिए अभिदाय करना जो अभिदाय की तारीख से पच्चीस वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर प्रतिसदेय है।

परन्तु इस खण्ड की कोई बोर्ड को किसी तेल उद्योग समुत्थान के ऐसे डिबेंचरो के लिए अभिदाय करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिन पर परादेय रकम बोर्ड को विकल्प पर उस अवधि के भीतर जिसमें डिबेंचर प्रतिसदेय है, उस समुत्थान के स्टॉक या शेयरो में संपरिवर्तनीय हैं।

स्पष्टीकरण — इस खण्ड में, किसी उधार या अग्रिम धन के संबंध में प्रयुक्त 'जिन पर परादेय रकम' पद से ऐसे उधार या अग्रिम धन पर उस समय सदेय मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार अभिप्रेत हैं जब उन रकमों को स्टॉक या शेयरो में संपरिवर्तित किया जाना है।

(3) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अध्युपायों के अन्तर्गत, जिनके संप्रवर्तन के लिए बोर्ड उस उपधारा के अधीन सहायता दे सकता है, निम्नलिखित के लिए यां के रूप में अध्युपाय भी हैं, अर्थात् :-

- क) भारत के भीतर (जिसके अन्तर्गत भारत का कान्टीनेन्टल शेल्फ भी है) या भारत के बाहर खनिज तेल का पृव्वेक्षण और खोज;
 - ख) कच्चे तेल के उत्पादन, हैबलिंग, भण्डारकरण और परिवहन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था;
 - ग) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिष्करण और विपणन;
 - घ) पेट्रो-रसायनों और उर्वरकों का विनिर्माण और विपणन;
 - ङ) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान जो तेल उद्योग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो सकें;
 - च) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में प्रयोगात्मक या आरम्भिक अध्ययन;
 - छ) तेल उद्योग के किसी क्षेत्र में लगे हुए या लगाने वाले कार्मिकों का भारत के भीतर या भारत के बाहर प्रशिक्षण, और
- ऐसे अन्य अध्युपाय जो विहित किए जाएं।

(4) बोर्ड अपने कृत्यों के प्रयोग में अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ऐसी फीस ले सकता है या ऐसा कमीशन प्राप्त कर सकता है जो वह समुचित समझे।

(५) बोर्ड किसी तेल उद्योग समुत्थान को या अन्य व्यक्ति को अपने द्वारा दिए गए उधार या अग्रिम धन के संबंध में किसी लिखित को प्रतिफल के लिए अन्तरित कर संकेता है।

(६) बोर्ड वे सभी बातें कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के आनुवर्गिक या पारिणामिक हों।

७. (१) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को सहायता देने के पहले, बोर्ड ऐसे निदेशों को ध्यान में रखेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त जारी करे और अपना सहायता के सिद्धान्त और शर्तों। यह समाधान करेगा कि :-

- क) ऐसी सहायता ऐसे निदेशों को प्रतिकूल नहीं है; और
- ख) तेल उद्योग के विकास के हित में ऐसी सहायता को पूर्विकता देना आवश्यक है।

(२) किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति को सहायता देने में बोर्ड ऐसी शर्तें अधिरोपित करेगा जो विहित की जाएं और बोर्ड ऐसी अतिरिक्त शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है जो वह बोर्ड के हितों के संरक्षण के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा दी गई सहायता का ऐसे समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा सर्वोत्तम उपयोग किया जाए, आवश्यक या समीचीन समझे।

करार पाई गई अवधि के पहले प्रतिसंदाय की मांग करने की शक्ति।

८. किसी करार में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, लिखित सूचना द्वारा, किसी तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति से जिसको उसने कोई सहायता दी है यह अपेक्षा कर सकता है कि वह बोर्ड को प्रति अपने वायित्वों का तुरन्त पूरी तरह निर्वहन करे :-

- क) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि ऐसी सहायता के लिए आवेदन देते समय ऐसी सूचना दी गई थी जो किसी तात्त्विक विशिष्ट में मिथ्या है या भ्रामक है; या
- ख) यदि समुत्थान या अन्य व्यक्ति ने ऐसी सहायता के मामले में बोर्ड के साथ अपनी सविद्या के निर्बंधनों का अनुपालन नहीं किया है; या
- ग) यदि इस बात की युक्तिमुक्त आशंका है कि समुत्थान या अन्य व्यक्ति अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है या ऐसे समुत्थान या व्यक्ति के सम्बन्ध में समापन या दिवाला विषयक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है; या
- घ) यदि प्रतिभूति के रूप में बोर्ड को पास गिरवी रखी गई, बन्धक रखी गई, आडभान रखी गई या बोर्ड को समनुदेशित सम्पत्ति का बोर्ड के समाधान पर्यन्त समुत्थान या अन्य व्यक्ति द्वारा बीमा नहीं कराया जाता है या बीमा चालू नहीं रखा जाता है; या ऐसी सम्पत्ति के मूल्य में इतना ह्रास हो जाता है कि बोर्ड की राय में बोर्ड के समाधान पर्यन्त और प्रतिभूति दी जानी चाहिए तथा ऐसी प्रतिभूति नहीं दी जाती है; या
- ङ) यदि बोर्ड की अनुज्ञा के बिना, कोई मशीनरी, संयंत्र या अन्य उपकरण (चाहे वह प्रतिभूति का भागरूप हो या नहीं) समुत्थान या अन्य व्यक्ति के परिसर से उसके समतुल्य कुछ रखे बिना हटाया जाता है, या
- च) यदि किसी कारणवश बोर्ड के हितों का संरक्षण आवश्यक है।

बोर्ड के दायों के प्रवर्तन के लिए विशेष उपबन्ध

९. (१) जहां कोई तेल उद्योग समुत्थान या अन्य व्यक्ति, किसी करार को भंग करने हुए, किसी उधार या अग्रिम धन या किसी किन्त के प्रतिसंदाय में या बोर्ड द्वारा दी गई किसी अन्य सहायता के संबंध में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में व्यतिक्रम करता है या अन्यथा